

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन निदेशक सर्वे भू-अभिलेख (DILRMP)  
राजस्थान, जयपुर

क्र. नांक: प: भूप्रआ/समु/ आरआर/11/2/10/2013/पार्ट-II/  
भू-प्रबन्ध अधिकारी,  
भीलवाडा/जोधपुर/टोंक/  
जयपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर

दिनांक :-

विषय:- राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति भिजवाने  
बाबत ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा DILRMP  
योजना हेतु 10 जिलो की 105 तहसीलों हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
की धारा 106, 108 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 21.03.2017 का राजस्थान  
राजपत्र (साधारण) मार्च,30,2017 भाग 1(ख) के पृष्ठ सं० 173 से 175 तक प्रकाशन हो  
चुका है जिसकी छाया प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


हं०  
( अम्बरीष कुमार )  
भू-प्रबन्ध आयुक्त एवं  
पदेन निदेशक,  
सर्वे भू-अभिलेख DILRMP  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 26-5-2017

कमाक/फा/समसंख्यक/1329

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

- 1- सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, DILRMP मुख्यालय, जयपुर
- 2- जोन प्रभारी सर्वे/रिसर्वे प्रकोष्ठ जोधपुर जोन बी, उदयपुर/बीकानेर बी,  
अजमेर/कोटा/जयपुर मु० जयपुर
- 3- प्रभारी RBAAS मुख्य कार्यालय, जयपुर
- 4- प्रोग्रामर मुख्य कार्यालय जयपुर
- 5- प्रभारी अभिलेखागार (लाईब्रेरी) मु० जयपुर

  
सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी,  
मुख्यावास, राजस्थान, जयपुर



भाग 1 (ख)  
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर।

आदेश

जयपुर, मार्च 07, 2017

संख्या एफ. 11(7)के.क.बोर्ड/आरएण्डपी/सान्याअवि/18/11069 :- राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक एफ.11(7)के.क.बोर्ड/आरएण्डपी/सान्याअवि/2016/70317 दिनांक 16-11-2016 के द्वारा श्री मोहन मोरवाल को केश कला बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।  
केश कला बोर्ड के नियमों के नियम 4(बी)के तहत अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 3 वर्ष निर्धारित किया जाता है।

रवि जैन,  
निदेशक एवं विशिष्ट शासन  
सचिव।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग  
अधिसूचनाएं

जयपुर, मार्च 21, 2017

संख्या 13(9)राज./ग्रुप-1/2014 :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-106 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि जिला श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, धुरु, बाड़मेर, जयपुर, टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा, राजसमन्द एवं भीलवाड़ा की समस्त तहसीलों (संलग्न सूची अनुसार) के समस्त ग्रामों का डि-नोवो आपरेशन डिजीटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अन्तर्गत हाई रेजोलेशन सैटेलाइट इमेजरी (एचआरएसआई) व डीजीपीएस/ईटीएस की सहायता से जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म पर डिजीटल सर्वे/रीसर्वे (स्पेशल डाटा) एवं नया डिजीटल भू-अभिलेखन तैयार करने संबंधी कार्यवाही इस अधिसूचना के राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रारम्भ कर दी जायेगी।

संलग्न :- निम्न सूची

DILRMP के अन्तर्गत सर्वे/री-सर्वे एवं भू-अभिलेखन हेतु अधिसूचित होने वाली तहसीलें एवं अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सूची :-

क्र. सं.	नाम जिला	क्र.सं.	तहसील	अपर सर्वे एवं भू-अभिलेख अधिकारी
1	2	3	4	5
1.	भीलवाड़ा	1.	सहाड़ा	भू-प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा
		2.	रायपुर	
		3.	शाहपुरा	
		4.	फूलियाकला	
		5.	आसीन्द	
		6.	बदनौर	
		7.	बनेड़ा	
		8.	हुरड़ा	
		9.	माण्डल	
		10.	करेड़ा	
		11.	माण्डलगढ़	
		12.	जहाजपुर	
		13.	बिजौलिया	
		14.	भीलवाड़ा	
		15.	हमीरगढ़	
		16.	कोटडी	
2.	बाड़मेर	17.	बाड़मेर	भू-प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर
		18.	शिव	
		19.	गड़रा रोड़	
		20.	पचपदरा	
		21.	शिवाना	



1	2	3	4	5
		22.	समदडी	
		23.	चौहटन	
		24.	सेड़वा	
		25.	गुडामालानी	
		26.	सिणधरी	
		27.	धोरीमन्ना	
		28.	रामसर	
		29.	बायतू	
		30.	भिण्डा	
3.	टोंक	31.	उनियारा	भू-प्रबन्ध अधिकारी टोंक
		32.	देवली	
		33.	दूनी	
		34.	टोडारायसिंह	
		35.	पीपलू	
		36.	टोंक	
		37.	मालपुरा	
		38.	निवाई	
4.	जयपुर	39.	चौमूं	भू-प्रबन्ध अधिकारी जयपुर
		40.	सांगानेर	
		41.	कोटखावदा	
		42.	कोटपूतली	
		43.	विराटनगर	
		44.	आमेर	
		45.	शाहपुरा	
		46.	मौजमाबाद	
		47.	दूहू	
		48.	जयपुर	
		49.	फागी	
		50.	फुलेरा	
		51.	किशनगढ़ रेनवाल	
		52.	बस्सी	
		53.	जमवारामगढ़	
		54.	चाकसू	
5.	राजसमन्द	55.	आमेट	भू-प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर
		56.	कुम्भलगढ़	
		57.	रेलमगरा	
		58.	राजसमन्द	
		59.	नाथद्वारा	
		60.	मीम	
		61.	देवगढ़	
		62.	खमनौर	
		63.	गढ़बोर	
6.	बांसवाडा	64.	घाटोल	भू-प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर
		65.	गनोड़ा	
		66.	बागीदौरा	
		67.	आनन्दपुरी	
		68.	गांगड़तलाई	
		69.	गढ़ी	
		70.	बांसवाडा	
		71.	छोटीसखन	
		72.	अम्बापुरा	
		73.	कुशलगढ़	
		74.	सज्जनगढ़	



1	2	3	4	5
7.	झालावाड़	75.	पिड़ावा	भू-प्रबन्ध अधिकारी कोटा
		76.	गंगधार	
		77.	पचपहाड़	
		78.	अकलेरा	
		79.	खानपुर	
		80.	झालरापाटन	
		81.	असनावर	
		82.	मनोहरथाना	
8.	हनुमानगढ़	83.	हनुमानगढ़	भू-प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर
		84.	नोहर	
		85.	भादरा	
		86.	रावतसर	
		87.	संगरिया	
		88.	टिब्बी	
		89.	पीलीबंगा	
9.	श्रीगंगानगर	90.	अनूपगढ़	भू-प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर
		91.	रायसिंहनगर	
		92.	सूरतगढ़	
		93.	श्रीगंगानगर	
		94.	करणपुर	
		95.	पदमपुर	
		96.	विजयनगर	
		97.	घड़साना	
		98.	शार्दूलशहर	
10.	चूरु	99.	चूरु	भू-प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर
		100.	रतनगढ़	
		101.	सुजानगढ़	
		102.	बीदासर	
		103.	राजगढ़	
		104.	तारानगर	
		105.	सरदारशहर	

जयपुर, मार्च 21, 2017

संख्या 13(9)राज./गुप-1/2014 :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-108 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि जिला श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरु, बीकानेर, जयपुर, टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा, राजसमन्द एवं भीलवाड़ा की समस्त तहसीलों के समस्त ग्रामों में (धारा-106 के संलग्न सूची में वर्णित अनुसार) अधिसूचित पूर्ण सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख संक्रियाओं को डिजीटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के उद्देश्यों की क्रियान्विति हेतु स्थाई अपर सर्वे एवं भू-अभिलेख अधिकारी नियुक्त नहीं होने के कारण निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु (धारा-106 के संलग्न सूची के कॉलम संख्या-5 में वर्णित अनुसार) अपर सर्वे एवं भू-अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
दुर्गा जोशी,  
संयुक्त शास्त्र सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।